



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072024-255467  
CG-DL-E-16072024-255467

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 2654]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

का.आ. 2790(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 8 के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि जहां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या उसके किन्हीं उपबंधों का कोई निर्देश तत्समय प्रवृत्त निम्नलिखित में किया जाता है-

- (क) संसद् द्वारा बनाया गया अधिनियम; या
- (ख) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम;
- (ग) अध्यादेश;
- (घ) संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन बनाए गए विनियम;
- (ङ) राष्ट्रपति का आदेश;

(च) किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनियम, किया गया आदेश या अधिसूचना, अध्यादेश या विनियम,

वहां ऐसा निर्देश क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) (बीएनएसएस) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) (बीएसए) के निर्देश के रूप में पढ़ा जाएगा और ऐसी विधि के तत्स्थानी उपबंधों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

[फा. सं. 13(12)/2024-वि.-1]

दिवाकर सिंह, अपर सचिव

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2024

**S.O. 2790(E).**—In pursuance of section 8 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby notifies that where any reference of the Indian Penal Code (45 of 1860), or the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872 or any provisions thereof is made in any—

- (a) Act made by Parliament; or
- (b) Act made by the Legislature of any State;
- (c) Ordinance;
- (d) Regulations made under article 240 of the Constitution;
- (e) President's order;
- (f) rules, regulations, order or notification made under any Act, Ordinance or Regulation,

for the time being in force, such reference shall respectively be read as the reference of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) (*BNS*), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) (*BNSS*) or the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023) (*BSA*), and the corresponding provisions of such law shall be construed accordingly.

[F. No. 13(12)/2024—Leg.I]

DIWAKAR SINGH, Addl. Secy.